मुकदमा नम्बर :- .... / 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24.6.2020	पत्रावली आज पेश हुई। आज श्रीमान् पीठासन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 22/7/2020 को पेश हो। [signature]
22/7/2020	पत्रावली आज पेश हुई। आज श्रीमान् पीठासन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 25/8/2020 को पेश हो। [signature]
25/8/2020	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस व प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि मौजा सेवाड़िया में प्रार्थीगण की आराजी पुराने खसरा नम्बर 109 रकबा 38 बीघा 2 बिस्वा, जिसके द्वितीय सेटलमेंट के दौरान नवीन खसरा 177, 177/548, 178, 179/549, 179/550, 176 रकबा क्रमशः 1.45, 0.16, 1.92, 0.84, 0.27, 1.15 हेक्टेयर कुल रकबा 5.97 है० सृजित किये गये। नवसृजित खसरान का रकबा 0.29 है० आराजी प्रार्थीगण के कम दर्ज होकर प्रार्थी संख्या 1 [illegible] पुराने खसरा नम्बर 13 971 [illegible] 11 बिस्वा से नवसृजित [illegible] 23 [illegible] 0.03, 6.390 [illegible] 6.42 हेक्टेयर [illegible] रकबा बढ़ा

[signature]
सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा — PTO —

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.01.12 13:34:53 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व
अहकाम जो
की तारीख

किया। मगर कब्जा प्रार्थी के पास उपम
सेटलमेंट से ही यथावत चला आ रहा है,
इसलिए मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक
अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के
पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थीगण की उक्त
विवादित आराजी मे मौके पर दखलंदाजी
नही करें, बेचान नही करें तथा मौके
व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब व बहस
में निवेदन किया कि मौजा सेवाड़िया
की उक्त विवादित आराजी में अप्रार्थी संख्या
1 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 22 व
23 में अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे काश्त में
अप्रार्थीगण न तो स्वयं दखल करें तथा न
ही अन्य किसी से करावें

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान
अधिवक्ताओं की बहस के कथनों, जवाब व
दस्तावेजों पर मनन किया गया। मौजा
सेवाड़िया के नवीन खसरा नम्बर 22 रकबा
0.03 है० व खसरा नम्बर 23 रकबा 6.39 है०
कुल रकबा 6.42 हेक्टेयर आराजी के
मौके व राजस्व रेकर्ड की स्थिति में परिवर्तन
होना होता है तो ऐसी स्थिति में उभय-
पक्षकारान् [illegible] तथा मौके व
रेकर्ड की [illegible] हेतु उभयपक्षकारान्
अधिवक्ता द्वारा [illegible] अपनी सहमति देते
हुए आर्डरशीट पर हस्ताक्षर किये गए।
ऐसी स्थिति में उक्त विवादित आराजी पर
मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति हेतु
अस्थाई निषेधाज्ञा जारी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.01.12 13:34:53 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय ....

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा :- ....

मुकदमा नम्बर :- .... / 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	न्याय संगत प्रतीत होता है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा तफैसला वाद तक उभयपक्षकारान के विरुद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड की स्थिति मौजा सेवाड़िया तहसील व मौके रानीवाड़ा के नवीन खसरा नम्बर 22,23 रकबा 0.03, 6.39 हैक्टेयर जुमले 6.42 हैक्टेयर की यथास्थिति बनाये रखेंगे। निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार रानीवाड़ा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा जिला-जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.01.12 13:34:53 IST
Reason: SelfAttested